"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2007—चैत्र 9, शक 1929

वित्त तथा योजना विभाग

(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/8/2007/वाक/पांच (7).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अधिसूचना की अवधि से संबंधित अंक "2007" के स्थान पर अंक "2008" प्रति स्थापित किया जाय :-

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	एफ-10/28/2006/वाक/पांच (15)	30-03-2006
2.	एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16)	30-03-2006
3.	एफ-10/24/2006/वाक/पांच (29)	12-04-2006
4.	एफ-10/42/2006/वाक/पांच (36)	13-04-2006
5.	एफ-10/64/2006/वाक/पांच (56)	14-06-2006

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

क्रमांक एफ-10/8/2007/वाक/पांच (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/8/2007/वाक/पांच (7), दिनांक 30-03-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2007

NOTIFICATION

No. F-10/8/2007/CT/V (7).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments :-

AMENDMENT

In the following notifications for the figure "2007" related to period of the notification, the figure "2008" shall be substituted :-

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	F-10/28/2006/CT/V (15)	30-03-2006
2.	F-10/28/2006/CT/V (16)	30-03-2006
3.	F-10/24/2006/CT/V (29)	12-04-2006
4.	F-10/42/2006/CT/V (36)	13-04-2006
5.	F-10/64/2006/CT/V (56)	14-06-2006

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.